न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे

निगरानी प्र0 क0 1785–दो/2006 विरूध्द आदेश दिनांक 31–07–06 पारित अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 619/अ–27/05–06 अपील.

1– बाबूलाल पुत्र बसोरे बानिया (मृत) वारिसान–
क– शांतिदेवी बेवा स्व. बाबूलाल
ख– राजेश कुमार पुत्र स्व. बाबूलाल
ग– विनोद कुमार पुत्र स्व. बाबूलाल
घ– सतीशकुमार पुत्र स्व. बाबूलाल
च– सुबोध कुमार पुत्र स्व. बाबूलाल
निवासी ग्राम धवाड़, तह0 राजनगर
जिला छतरपुर
2– गयाप्रसाद पुत्र बसोरे बानिया (मृत) वारिसान–
क– पन्नालाल पुत्र गयाप्रसाद
ख– भरत पुत्र गयाप्रसाद
ग– प्रभुदयाल पुत्र गयाप्रसाद
घ– सुधीर कुमार पुत्र गयाप्रसाद
निवासी ग्राम धवाड़, तह0 राजनगर
जिला छतरपुर
3– ओमकार पुत्र बसोरे बानिया
निवासी ग्राम धवाड़, तह0 राजनगर
जिला छतरपुर

---- आवेदकगण

विरूध्द

1– रामगोपाल पुत्र स्व. नाथूराम बानिया
2– रामेश्वर पुत्र स्व. नाथूराम बानिया
3– रामबिलास पुत्र स्व. नाथूराम बानिया
4– जागेश्वर प्रसाद पुत्र स्व. नाथूराम बानिया
5– रमेशप्रसाद पुत्र स्व. नाथूराम बानिया
6– लखनप्रसाद पुत्र स्व. नाथूराम बानिया
समस्त निवासी ग्राम धवाड़, तह0 राजनगर
जिला छतरपुर
7– गंगाप्रसाद पुत्र स्व. श्रीराम बानिया
8– जमुनाप्रसाद पुत्र स्व. श्रीराम बानिया

14/7/14

9– सन्तोष कमार पुत्र स्व. श्रीराम बानिया
10–रमाकांत पुत्र स्व. श्रीराम बानिया
11–दिब्बू पुत्र स्व. श्रीराम बानिया
क0 7 से 11 नि0 ग्राम महिलबार, तह0 राजनगर,
जिला छतरपुर, म0प्र0

—— अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक– अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 14.7.2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के अपील प्रकरण कमांक 619/अ–27/05–06 में पारित आदेश दिनांक 31–07–2006 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम धवाड़ स्थित प्रश्नाधीन भूमि कुल किता 61 कुल रकबा 26.628 हे. के खाता विभाजन हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। आवश्यक कार्यवाही के पश्चात तहसीलदार, राजनगर ने अपने आदेश दिनांक 28–04–03 व्दारा खाता विभाजन के आदेश दिये गये। इस आदेश के विरूध्द अनावेदक क0–1 से 6 व्दारा प्रस्तुत अपील अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 31–05–06 व्दारा खारिज की। व्दितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनाक 31–07–06 व्दारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये हैं और प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है कि स्वतंत्र रूप से जो खसरे जिस व्यक्ति के नाम से दिये गये हैं, उनका बटवारा नहीं किया

जाय। इस आदेश के विरूध्द आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदकगण के विव्दान अभिभाषक का तर्क है कि अपर आयुक्त ने आदेश पारित करने के पूर्व आवेदकगण को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया। अपर आयुक्त व्दारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख की मॉग नहीं की गयी। अपर आयुक्त व्दारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का परीक्षण किये बिना मनमाना आदेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये जिन्हें व्दितीय अपील में पर्याप्त आधार के निरस्त किया गया है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि अपर आयुक्त व्दारा आदेश पारित करने के पूर्व विधिवत सूचनापत्र आवेदकगण पर तामील किये गये, किन्तु सूचना उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से अपर आयुक्त व्दारा उनके विरूध्द एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। उनका यह भी तर्क है कि सम्पूर्ण रिकार्ड की सत्य–प्रतिलिपियॉ संलग्न होने से अपर आयुक्त व्दारा उनके अवलोकन के पश्चात विधिवत आदेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अनावेदकों के पिता नाथूराम बानिया की स्वअर्जित सम्पत्ति को बटवारा में शामिल कर बटवारा आदेश पारित किया गया, इस कारण अपर आयुक्त व्दारा अपील स्वीकार कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ अपर आयुक्त की आदेश एवं आदेश– पत्रिकाओं की प्रमाणित सत्य–प्रतिलिपियॉं प्रस्तुत की गयी है। आदेश–पत्रिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त व्दारा दिनांक 24–07–06 प्रकरण दर्ज कर तलवाना तीन दिन में प्रस्तुत करने पर प्रतिपक्ष को आहूत करने के आदेश दिये तथा आदेश पत्रिका में यह भी अंकित किया गया कि नोटिस चस्पा व्दारा तामील करायें और प्रकरण दिनांक 28–7–06 को नियत किया। प्रकरण नियत दिनांक 28–7–06 को नहीं लिया जाकर दिनांक 22–08–06 को अपर आयुक्त व्दारा सुनवायी में लिया गया तथा दिनांक 22–08–06 को एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण आदेश हेतु दिनांक 31–07–06 को नियत किया और अपर आयुक्त व्दारा दिनांक 31–7–06 को आदेश पारित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपर आयुक्त व्दारा 24–07–06 को प्रकरण दर्ज करने के पश्चात दिनांक 22–08–06 को अर्थात एक माह से भी कम समय में आवेदकगण के विरूध्द एकपक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण आदेश हेतु नियत कर आदेश पारित किया गया है। अपर आयुक्त व्दारा दिनांक 24–07–06 को प्रकरण में सुनवायी हेतु दिनांक 28–7–06 नियत की गयी थी, किन्तु नियत दिनांक को प्रकरण नहीं लेते हुए दिनांक 22–08–06 को सुनवायी में लिया गया और आवेदकगण के विरूध्द एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। जब प्रकरण सुनवायी हेतु दिनांक 22–08–06 को नियत ही नहीं था, तब अपर आयुक्त व्दारा आवेदकगण के विरूध्द दिनांक 22–08–06 को एकपक्षीय कार्यवाही करना विधिसंगत नहीं है और यह प्राकृतिक न्याय सिध्दान्त के भी विपरीत है। यहॉं पर यह भी उल्लेखनीय है कि अनुसूची–1 में नियम 4 से 7 में समन की तामील का ढ़ग वर्णित है। इसके नियम 4 के अनुसार प्रत्येक समन संबंधित व्यक्ति को व्यक्तिशः या उसके मान्यता प्राप्त अभिकर्त्ता को प्रदत्त करके की जाने का प्रावधान है। नियम 5 के अनुसार समन किया गया व्यक्ति नहीं पाये जाने पर तथा उसका कोई मान्यता प्राप्त अभिकर्त्ता नहीं होने पर व्यक्ति के कुटुम्ब के वयस्क पुरूष पर जो उसके साथ निवास करता हों, पर की जाना

चाहिये। नियम 4 से 6 के अनुसार तामीली नहीं होने पर ही नियम 7 के अनुसार तामीली अन्तिम ज्ञात स्थान या लोक समागम के स्थान पर चस्पा व्दारा की जा सकती है। अपर आयुक्त व्दारा नियम 4 एवं 5 के अनुसार आवेदकगण व्दारा सूचनापत्र की तामील करने हेतु सूचनापत्र जारी नहीं करते हुए नियम 7 के अनुसार प्रकरण दर्ज करने के पश्चात सूचनापत्र तामीली के आदेश देना नियम विरूध्द है और ऐसी तामीली के आधार पर की गयी एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त योग्य है। अपर आयुक्त व्दारा व्दितीय अपील में आदेश पारित करने के पूर्व अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों की मॉग नहीं की गयी और बिना अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किये आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार की आदेश पत्रिका दिनांक 8–4–03 से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने पटवारी व्दारा प्रस्तुत फर्द बटवारे पर अभिमत हेतु प्रकरण दिनांक 22–4–03 को नियत किया। आदेश पत्रिका दिनांक 8–4–03 में उभय पक्ष के अभिभाषक की उपस्थिति दर्ज है। नियत दिनांक 22–4–03 को फर्द बटवारे पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने से तहसीलदार व्दारा बटवारा आदेश पारित किया गया है। ऐसी दशा में अपर आयुक्त व्दारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किये बिना तथा आवेदकगण को पक्ष समर्थन का अवसर दिये बिना अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष निरस्त करने में त्रुटि की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाता हैं। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 31–07–06 निरस्त किया जाता है। परिणाम स्वरूप अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 31–05–06 तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 28–04–03 यथावत रखे जाते हैं।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0